संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा रायपुर (छ0ग0)

ब्लाक –1, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0) पिन– 492002

☏ फोन नं. 0771–2253808–फैक्स नं. 0771–2254234 **e-mail-lfacg.cg@nic.in web site- www.lfa.cg.nic.in**

विज्ञप्ति क्रमांक / 1555 / एल.एफ.ए. / स्था. / नया रायपुर दिनांक 14.12.2015

विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय नया रायपुर ज्ञापन क्र. एफ 20–4 / 2015 / आप्र / 1–3 नया रायपुर दिनांक 25.08.2015 से निःशक्तजनों के बैकलॉग के रिक्त पदों की विशेष भर्ती अभियान से पूर्ति हेतु अनुमति एवं छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग की सहमति क्रमांक 1449 / 2145 / 2015 / स्था. / चार, दिनांक 07.12.2015 के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के अधीन संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़ एवं अंबिकापुर में ज्येष्ठ संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक (तृतीय श्रेणी) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य स्थानीय निधि संपरीक्षा, अधीनस्थ लेखा सेवा भर्ती नियम 1969 एवं छत्तीसगढ़ राज्य स्थानीय निधि संपरीक्षा, लिपिक वर्गीय सेवा भर्ती नियम, 1967 में उल्लेखित शर्तों एवं प्रक्रिया अनुसार पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाईन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर की वेबसाईट www.cgvyapam.choice.gov.in पर आमंत्रित किये जाते हैं।

परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है –

1. **परीक्षा की तिथि – 24 जनवरी 2016, रविवार,**
2. परीक्षा का समय – अपरान्ह 2.00 से 5.15 बजे तक
3. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि – 16.12.2015 (बुधवार)

   ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर ऑनलाइन परीक्षा भुल्क भरने की अंतिम तिथि – 28.12.2015,रात्रि 11.59 तक (सोमवार)

   ऑनलाइन आवेदन कर ऑफलाइन पेमेंट हेतु SBI Bank के चालान प्राप्त करने की अंतिम तिथि – 30.12.2015, सायं 5.00 तक (बुधवार)

   ऑफलाइन (SBI Bank के चालान द्वारा) पेमेन्ट की अंतिम तिथि – 01.01.2016 बैंक के कार्यालयीन समय तक (शुक्रवार)
4. परीक्षा भाहर एवं कोड –अम्बिकापुर (11), बिलासपुर (13),दुर्ग (16), जगदलपुर (17), रायपुर (25)

परीक्षा शुल्क :–

सामान्य वर्ग	–	**450 / –**
अन्य पिछड़ा वर्ग	–	**350 / –**
अनुसूचित जाति / जनजाति / निःशक्तजन	–	**300 / –**

रिक्त पदों की संख्या एवं वेतनमान निम्नानुसार है :–

1. निःशक्त–बैकलॉग विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत रिक्त पदों का विवरण :–

क्र.	पदनाम	वेतनमान	श्रेणी	सीधी भर्ती के रिक्त पद						
				कुल रिक्त पद	संवर्ग	मुक्त	महिला	भूपूसै	विक.	योग
1.	ज्येष्ठ संपरीक्षक	9300–34800 4200 ग्रेड पे	तृतीय	01	अ.जा.	–	–	–	01(अस्थि बाधित)	01
2.	सहायक संपरीक्षक	5200–20200 2400 ग्रेड पे	तृतीय	01	अ.ज.जा.	–	–	–	01(अस्थि बाधित)	01

1. बैकलॉग पदों पर सीधी भर्ती के अंतर्गत रिक्त पदों का विवरण :–

क्र.	पदनाम	वेतनमान	श्रेणी	सीधी भर्ती के संवर्गवार रिक्त पद						
				कुल रिक्त पद	संवर्ग	मुक्त	महिला	भूपूसै	विक.	योग
1.	सहायक संपरीक्षक	5200–20200 2400 ग्रेड पे	तृतीय	21	अ.जा.	06	03	–	–	09
					अ.ज.जा.	01	01	01	–	03
					अ.पि.व. (क्रीमिलेयर को छोड़कर)	06	03	–	–	09
					योग	13	07	01	–	21

2. सीधी भर्ती के अंतर्गत रिक्त पदों का विवरण :–

क्र.	पदनाम	वेतनमान	श्रेणी	सीधी भर्ती के संवर्गवार रिक्त पद						
				कुल रिक्त पद	संवर्ग	मुक्त	महिला	भूपूसै	विक.	योग
1.	सहायक संपरीक्षक	5200–20200 2400 ग्रेड पे	तृतीय	28	अनारक्षित	07	04	01	–	12
					अ.जा.	01	01	01	01(दृष्टि बाधित)	04
					अ.ज.जा.	05	03	01	–	09
					अ.पि.व. (क्रीमिलेयर को छोड़कर)	–	01	01	01(अस्थि बाधित)	03
					योग	13	09	04	02	28

टीपः– कार्य की प्रकृति –स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षण कार्य।

आयु सीमा एवं शैक्षणिक अर्हताऍ

क्र.	पदनाम	न्युनतम आयु	शैक्षणिक अर्हता
1	ज्येष्ठ संपरीक्षक	21 वर्ष	कला, विज्ञान या वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी स्नातक या उपरोक्त विषय में द्वितीय श्रेणी अधिस्नातक या विधि स्नातक
2.	सहायक संपरीक्षक	18 वर्ष	कला, विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक

यह नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक रिट पिटी.(सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012, एवं 594/2012, में माननीय न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश /निर्णय के अध्यधीन होगी।

टीप :–

(i) विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनीय है।

(ii) पद के समक्ष वेतनमान दर्शाया गया है तथा निर्धारित वेतनमान में शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे ।

(iii) निःशक्त और भूतपूर्व सैनिक के पद के विरूद्ध सामान्य, अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) में से जिस श्रेणी का आवेदक होगा उसे हॉरिजेण्टल आरक्षण के कारण उस श्रेणी के अंतर्गत माना जायेगा ।

नियम एवं शर्ते :–

1. दिनांक 01.01.2015 की स्थिति में आवेदित पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से कम नहीं होनी चाहिए एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चहिये।

   आयु की गणना हेतु कांउसिलिंग (counselling) के समय हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

   आयु में छूट – उच्चतर आयु सीमा में संबंधितों को छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों के तहत छूट की पात्रता होगी, जो कि अधिकतम् 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2 आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना चाहिए।

3. आवेदक का छ.ग. राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए।

4. चयनित ज्येष्ठ संपरीक्षक को 3 वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि में रखा जावेगा। उक्त निर्धारित परिवीक्षाधीन अवधि में विभागीय अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। चयनित सहायक संपरीक्षकों की नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

5 यदि किसी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से पद रिक्त रह जाते है तो ऐसे रिक्त पद अग्रेषित (Carry forward) नहीं किये जायेंगे, वरन उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवार के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे, जिस प्रवर्ग के लिए आरक्षित है ।

6 कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

7 कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

8 यदि आवेदक शासकीय, अर्द्धशासकीय सेवा में है तो चयनित होने पर उसे नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9 चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के समय समस्त प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चयनित होने के बाद यह ज्ञात हो कि अभ्यर्थी द्वारा फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए है, संज्ञान में आने पर तत्काल बर्खास्तगी की कार्यवाही की जावेगी।

10 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति काउंसलिंग के समय अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।

11 यह नियुक्ति छ.ग. राज्य के लिए है, अतएव चयनित उम्मीदवार को रिक्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय यथा क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ अंबिकापुर एवं संचालनालय नया रायपुर में पदस्थापना दी जायेगी। भविष्य में आवश्यकता अनुसार अन्य किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय/संचालनालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। ज्येष्ठ संपरीक्षक/सहायक संपरीक्षक का कार्य स्थानीय निकायों का आडिट करना है, अतः इस दृष्टिकोण से चयनित अभ्यर्थी को वर्ष भर प्रवास पर रहना पड़ सकता है।

12 यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं एवं शर्तो को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन करें। परीक्षा/काउंसिलिंग (counselling) में सम्मिलित किये जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उनका आवेदन निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।

13 आवेदन भरने के समय आवश्यक सावधानी बरते। बाद में अभ्यर्थी के द्वारा जन्म तिथि, श्रेणी, वर्ग इत्यादि में परिवर्तन संभव नहीं होगा।

14 व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम सूची विज्ञापित पदों की पूर्ति तक वैध रहेगी।

नोटः– लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा शहर/केन्द्र तक जाना होगा। इसके लिए यात्रा व्यय नहीं दिया जाएगा।

चयन प्रक्रिया :–

1 ज्येष्ठ संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक पदों पर चयन हेतु 200 अंकों की एक ही लिखित परीक्षा छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा आयोजित की जावेगी। परीक्षा उपरांत प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची जारी की जायेगी। मेरिट सूची के आधार पर दोनों पदों पर प्रमाण पत्रों की जांच पश्चात चयन/नियुक्ति की कार्यवाही विभाग द्वारा की जावेगी।

2 प्रवर्गवार रिक्तियों के अनुपात में परीक्षा में अधिकतम अंक अर्जित करने वाले परीक्षार्थियों को पहले ज्येष्ठ संपरीक्षक पश्चात् सहायक संपरीक्षक के रिक्त पद पर चयन हेतु चिन्हांकित किया जायेगा। प्रतियोगिता परीक्षा में अंतिम पद के विरूद्ध एक समान अंक अर्जित होने पर विभागीय भर्ती नियम में विहित शैक्षणिक अर्हता के प्राप्तांको को वरीयता दी जाएगी। इनमें भी समान अंक होने पर जन्म तिथि को वरीयता दी जाएगी एवं इसमें भी समान होने पर अंतिम निर्णय संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा के पास सुरक्षित रहेगा।

3 भर्ती प्रक्रिया के संबंध में उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिए जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अर्थात संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के पास सुरक्षित रहेगा।

4 व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी करने तक सीमित रहेगा। मेरिट के आधार पर चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जावेगी।

परीक्षा पाठ्यक्रम तथा परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन की विधि, परीक्षा शुल्क भुगतान की विधि तथा परीक्षा संचालन संबंधी निर्देश व्यापम की वेबसाईट **www.cgvyapam.choice.gov.in** पर देखा जा सकता है।

संचालक
स्थानीय निधि संपरीक्षा
नया रायपुर (छ.ग)